



**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**प्रेस नोट**

सात निश्चय-3 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु कार्य योजना अन्तर्गत मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, नरपतगंज अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य को चयनित किया गया है।

**योजना से लाभ:-**

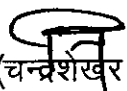
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि नहर प्रणाली को उसकी मूल स्थिति एवं वास्तविक जल संवहन क्षमता में पुनर्स्थापित करना है, ताकि सिंचाई हेतु नहरों में अंतिम छोर तक सुचारु रूप से जल प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से 6000 हे० में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। जिससे अररीया के नरपतगंज, भरगामा, फारबिसगंज एवं रानीगंज प्रखंड के कृषक लाभान्वित होंगे।

इस योजना अन्तर्गत निम्न कार्य प्रावधानित है:-

योजना के अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर की सिल्ट निकासी कार्य, खरसाही वितरणी, परिहारी वितरणी तथा भंगहा वितरणी एवं इससे निःसृत नहरों में विभिन्न संरचनाओं यथा हयूम पाइप सी०डी०, सी०आर० कम फॉल, हेड रेगुलेटर, यू-आकार चैनल आदि के पुनर्स्थापन/निर्माण कार्य किया जाना है।

सिंचाई प्रमंडल, नरपतगंज अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों का पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 30,35,73,000/- (तीस करोड़ पैंतीस लाख तेहत्तर हजार रुपये) मात्र है तथा इस कार्य को दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव  
जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
प्रेस नोट

2

सात निश्चय-3 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी" कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु कार्य योजना अन्तर्गत मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल कटिहार अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर उप-वितरणी, हसनगंज उप-वितरणी, बैजनाथपुर उप-वितरणी, एवं सेमापुर उप-वितरणी, तथा इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य को चयनित किया गया है।

**योजना से लाभ:-**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि नहर प्रणाली को उसकी मूल स्थिति एवं वास्तविक जल संवहन क्षमता में पुनर्स्थापित करना है, ताकि सिंचाई हेतु नहरों में अंतिम छोर तक सुचारु रूप से जल प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के कार्यान्वयन हो जाने से 7064.86 हे० में सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हो सकेगा। जिससे पूर्णियाँ जिला के जलालगढ़, कसबा, डगरूआ, पूर्णियाँ पूर्व एवं के०नगर तथा कटिहार जिला के कोढ़ा, बरारी, मनसाही, हसनगंज एवं कटिहार प्रखंड के कृषक लाभान्वित होंगे।

इस योजना अन्तर्गत निम्न कार्य प्रावधानित है:-

योजना के अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर उपवितरणी, हसनगंज उपवितरणी, बैजनाथपुर उपवितरणी एवं सेमापुर उपवितरणी तथा इससे निःसृत नहरों की सिल्ट निकासी कार्य तथा विभिन्न संरचनाओं यथा यू-आकार चैनल, हयूम पाइप सी०डी०, हेड रेगुलेटर, सी०डी० आदि के पुनर्स्थापन /निर्माण कार्य किया जाना है।

सिंचाई प्रमंडल कटिहार अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर उप-वितरणी, हसनगंज उप-वितरणी, बैजनाथपुर उप-वितरणी, एवं सेमापुर उप-वितरणी, तथा इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य जिसकी प्राक्कलित राशिरू० 35,81,52,000/- (पैंतीस करोड़ इकासी लाख बावन हजार रुपये ) मात्र है तथा इस कार्य को दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव  
जल संसाधन विभाग

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। राज्य में बड़ी संख्या में गोवंश उपलब्ध होने के बावजूद प्रति पशु दुग्ध उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, जिसका मुख्य कारण उन्नत नस्लीय पशुओं की कमी एवं आधुनिक प्रजनन तकनीकों का सीमित उपयोग है। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत राज्य में गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु आधुनिक प्रजनन तकनीकों को विस्तार का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, भ्रूण प्रत्यारोपण (ETI) एवं इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले गोवंश का विकास किया जायेगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, उन्नत नस्ल के गोवंश की संख्या बढ़ेगी तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ राज्य के डेयरी क्षेत्र को भी सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 63,92,95,000/- (रुपये तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर कॉम्पेड, पटना द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु "नस्ल सुधार योजना" की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में प्रदान की गयी है।



10/8/28

सचिव

169

(4)

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

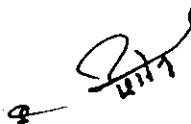
प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन 21 अक्टूबर, 1974 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के आलोक में बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० की स्थापना की गयी, जिसे कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र दिनांक-20.07.1976 को दिया गया, जो विभिन्न योजनाओं जैसे-गोबर गैस प्लांट, ग्रामीण शौचालय, सिंचाई, ट्रैक्टर खरीद, महुआ उद्योग, लघु उद्योग आदि के माध्यम से पंचायतों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाता था। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी। यह अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा नहीं करने, ऋण की वसूली नहीं किये जाने तथा अपने कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पाने आदि विभिन्न कारणों से दिनांक-09.12.1994 को अकार्यरत हो गया।

बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) केवल कानूनी अस्तित्व बनाये हुए है। निगम से संबंधित वार्षिक/वैधानिक अनुपालन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही कई वर्षों से लंबित है। लंबित वैधानिक अनुपालन को पूर्ण करने की संभावना काफी सीमित है। निगम के पुनर्जीवन की कोई व्यवहारिक संभावना नहीं है तथा निगम को बनाये रखने से अनावश्यक प्रशासनिक एवं अनुपालन संबंधित दायित्व बना हुआ है।

अतएव कम्पनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के नामित प्रबंध निदेशक द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT) में वाद दायर करते हुए परिसमापन (Liquidation) की कार्रवाई किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

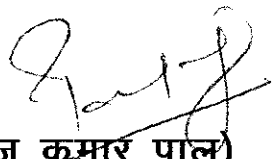
  
(मनोज कुमार)  
सचिव



5

## प्रेस नोट

बक्सर-भागलपुर छः-लेन fully access controlled ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे पथ (कुल लम्बाई-336.00 कि०मी०) परियोजना को PPP (DBFOT Toll) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराने, DPR परामर्शी तथा Transaction Advisor की सेवा प्राप्त करने एवं इस कोरिडोर के आस-पास बड़े भू-खण्डों का आर्थिक प्रयोजन हेतु विकास करने के लिए BSRDCL को प्राधिकृत करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

  
(पंकज कुमार पाल)  
सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

6

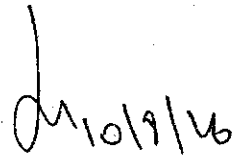
70  
70

बिहार सरकार  
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग  
(निबंधन)

प्रेस नोट

कजरा सोलर पावर परियोजना, (लखीसराय) के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

कजरा सोलर पावर परियोजना, (लखीसराय) के अधिष्ठापन से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, बल्कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों की मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य का विकास होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा।

  
(नवीन कुमार)  
सरकार के सचिव



बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

राज्य के जिलों में अवस्थित जिला नियोजनालयों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार, कैरियर काउंसिलिंग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिला नियोजनालय द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु रोजगार मेला का आयोजन, सभी प्रकार के निजी कंपनियों, उद्योगों, प्रतिष्ठानों एवं सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग ईकाइयों के साथ रोजगार हेतु संपर्क, रोजगार परामर्श आदि जैसे कार्य क्रियान्वित किये जाते हैं।

अवर प्रादेशिक नियोजनालय में जिला नियोजनालय का कार्य सम्पादित करने के कारण आम जनता और बेरोजगार युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा होने के साथ-साथ जिला स्तर पर नियोजनालय तक पहुँच बनाने एवं जिले के स्थानीय युवाओं को रोजगार, कैरियर काउंसिलिंग आदि जैसी सेवाओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। साथ ही विभाग स्तर पर भी प्रशासनिक एकरूपता स्थापित करना जटिल होता है। अतः अवर प्रादेशिक नियोजनालय का नाम जिला नियोजनालय करने से सात निश्चय पार्ट-3 (2025-30) के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत आम जनता और बेरोजगार युवाओं का जीवन आसान होगा।

१६/९  
(कौशल किशोर)  
सरकार के सचिव।

AM



बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग  
प्रेस नोट

8

सात निश्चय-2 अन्तर्गत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के अन्तर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पूर्व से स्वीकृत 35000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु कुल राशि रू0-266.00 करोड़ मात्र के अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11000 नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु 83.60 करोड़ रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उल्लेखनीय है कि लघु जल संसाधन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0-271(न0को0) दिनांक-31.07.2023 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-2864, दिनांक-20.06.2024 द्वारा "मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना" में सर्वेक्षित स्थलों सहित कुल 35,000 नलकूपों के अधिष्ठापन का निर्णय संसूचित किया गया था। पूर्व से निर्धारित 35,000 निजी नलकूपों के अतिरिक्त 11,000 निजी नलकूपों अर्थात् कुल 46,000 निजी नलकूपों का अधिष्ठापन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कुल 46,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के फलस्वरूप 2,30,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिससे कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी तथा सुखाड़ की स्थिति से निजात पाया जा सकेगा।

सचिव,

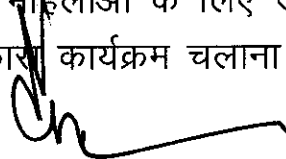
लघु जल संसाधन विभाग

**बिहार सरकार**  
**सूचना प्रावैधिकी विभाग**  
**प्रेस नोट**

वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। राज्य को एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।

2. उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

- समझौता ज्ञापन (MoU) के अन्तर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा :—
  - AI की उपयोग से विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा के विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण, परियोजना अनुश्रवण और क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग प्राप्त होगा।
  - AI Enabled Public infrastructure Dashboard की मदद में परियोजना में देरी और लागत वृद्धि के लिए शीघ्र चेतावनी संकेतक (early warning indicators) उपलब्ध होंगे, जिससे सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों की बचत होगी।
  - Geospatial Data Mapping के साथ-साथ Demographic Data and other datasets का AI Tools के मदद से विश्लेषण करने से Civil Intra Project के Planning, Building & Monitoring में मदद मिलेगी।
  - सरकारी अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस के लिए प्रशिक्षित करना और राज्य के छात्रों, युवाओं व महिलाओं के लिए एआई व डेटा एनालिटिक्स से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम चलाना।

  
**(अमय कुमार सिंह)**  
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-3 के तहत "समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार" की परिकल्पना के अंतर्गत मधुबनी जिले के सकरी एवं दरभंगा जिले के रैयाम में गन्ना उद्योग विभाग के बंद चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जानी है। सकरी तथा रैयाम चीनी मिलों के लिए अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र (Command Area) के गन्ना उत्पादक तथा गन्ना उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध किसानों को शामिल करते हुए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

  
(धर्मेन्द्र सिंह) 18/08  
सरकार के सचिव।

11

बिहार सरकार  
सहकारिता विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48200 (अड़तालीस हजार दो सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू0 34,95,27,730 /- (चौँतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र के योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे सहकारी समितियों की आधारभूत संरचना सशक्त होगी तथा व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त होगा।

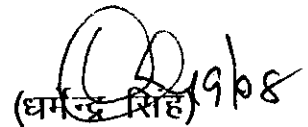
  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
सचिव।

## प्रेस नोट

मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग को संगठित कर राज्य स्तर तक मजबूत संरचना विकसित करने के उद्देश्य से जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किए जाने की मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई है।

प्रखण्ड स्तरीय “प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों” को सदस्य के रूप में शामिल कर जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघों एवं सभी जिला/जिला समूह/प्रमण्डल स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी संघों को सदस्य के रूप में शामिल कर राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ का गठन किया जाना है।

संघ एवं परिसंघ के गठन से राज्य की सहकारी मत्स्यजीवी संरचना, कार्य प्रणाली, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि संसाधनों के विकास और प्रभावी प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, समितियों को उन्नत इनपुट ससमय उपलब्ध होगा एवं मार्केटिंग तथा प्रोसेसिंग की व्यवस्था मजबूत की जा सकेगी।

  
(धर्मन्द्र सिंह) 9/8

सरकार के सचिव,  
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

~\*~

13

बिहार सरकार  
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

\*\*\*\*\*

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया (संशोधन) नियमावली-2026 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

संशोधन के तहत नियमावली की कंडिका-8(vi), 11, 11(A) एवं 11(B) में आंशिक संशोधन करते हुये सोशल मीडिया पोस्ट/वीडियो के प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त राशि के भुगतान को अधिक स्पष्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त नयी कंडिका-14(A), 14(B) एवं 14(C) जोड़ी जा रही है। इनके माध्यम से सूचीबद्ध सोशल मीडिया हैंडल/पैज चैनल के फॉलोअर्स की समय-समय पर जांच, विशेष परिस्थितियों में गैर सूचीबद्ध प्रतिष्ठित सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को विज्ञापन देने तथा नियमावली में किसी अस्पष्टता की स्थिति में आवश्यक स्पष्टीकरण की व्यवस्था की गई है।

इन संशोधनों का उद्देश्य सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाना है।

19/9/26  
सचिव

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।